दूरभाष: 05278–245957
फैक्स: 05278–248123

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / कु0स0का0 / 2017 / 283 दिनांक : 16 दिसम्बर, 2017

सेवा में,
प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद।

विषयः **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों का विवरण सत्यापित किये जाने एवं अन्य विवरण पूरित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं **S.F.C.** संचालित करने वाले अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अनुमोदित एवं कार्यरत कुल 6,445 शिक्षकों का डाटा विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। इस डाटा के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि लगभग 1528 अनुमोदित शिक्षकों विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक से अधिक महाविद्यालयों में अनुमोदित पाये गये हैं जो नियम विरूद्ध है।

अतएव् उपर्युक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अनुमोदित एवं कार्यरत कुल 6,445 शिक्षकों का कम्प्यूटरीकृत विवरण विश्वविद्यालय की सम्बद्धता की वेबसाइट **www.rmlaufzd.in** पर एवं सम्बद्धता विभाग की **Teacher Profile** के अन्तर्गत **Filled by College** लॉग–इन पर इस आशय से अपलोड की जा रही है कि आपके महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में समस्त विवरण दिनाँक 23–12–2017 तक प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण रूप से पूरित कर सत्यापित करने का कष्ट करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानकानुसार शिक्षक महाविद्यालयों में कार्यरत हैं अथवा नही? शिक्षकों का डाटा सत्यापित करने के सम्बन्ध में आदेशानुसार निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. विश्वविद्यालय की सम्बद्धता विभाग की वेबसाइट **www.rmlaufzd.in** एवं उक्त वेबसाइट के **Teacher Profile** में कॉलेज लॉग–इन पर उपलब्ध शिक्षकों के विवरण को भलीभाँति जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित शिक्षक आपके महाविद्यालय में वास्तविक रूप से कार्यरत है अथवा नही ? यदि कोई शिक्षक आपके महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत प्रदर्शित हो रहा है परन्तु वह वास्तविक रूप से छोड़कर अन्यत्र चला गया हो अथवा महाविद्यालय द्वारा उसकी सेवाएं विस्तरित नहीं की गयी हैं तो ऐसे शिक्षकों को प्रभावी संख्या बल से हटाते हुए इसकी सूचना दिनाँक 23–12–2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. यदि कोई शिक्षक आपके महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत है परन्तु विश्वविद्यालय के डाटा में वह आपके महाविद्यालय में प्रदर्शित नही हो रहा है तो ऐसे शिक्षकों का विवरण **Teacher**

दूरभाष: 05278–245957
फैक्स: 05278–248123

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ0प्र0)

Profile पर **Filled by Teacher** से भराते हुए कालेज लॉग–इन के माध्यम से दिनाँक 23–12–2017 तक सत्यापित कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत प्रत्येक शिक्षक के विवरण को आधार नम्बर से जोड़ना एवं शिक्षकों को वेतन के रूप में दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। अतएव् शिक्षकों के विवरण हेतु सम्बद्धता विभाग की वेबसाइट **www.rmlaufzd.in** पर **Teacher Profile** पर **Filled by Teacher** से लॉग–इन में उपलब्ध टीचर प्रोफाइल को प्रत्येक शिक्षक द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। टीचर प्रोफाइल में समस्त सूचनायें आधार नं0, पैन नं0, बैंक का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, ई0मेल आई0डी0 एवं मोबाइल/दूरभाष संख्या भरा जाना अनिवार्य है।

4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अनुमोदित ऐसे समस्त शिक्षक जो एक से अधिक महाविद्यालयों में अनुमोदित एवं कार्यरत प्रदर्शित हो रहे हैं, इनके सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित शिक्षक से रू0 10/– के नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर फोटोयुक्त शपथ–पत्र इस आशय का प्राप्त कर अपलोड/उपलब्ध करायें कि सम्बन्धित शिक्षक आपके महाविद्यालय में विधिवत अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा आपके महाविद्यालय द्वारा उसे बैंक खाते के माध्यम से नियुक्ति तिथि से नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दिनॉक 23 दिसम्बर, 2017 तक उपरोक्त सूचनाएं यदि आपके महाविद्यालय से अप्राप्त होती हैं तो ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि सम्बन्धित शिक्षक आपके महाविद्यालय में वास्तविक रूप से कार्यरत नहीं है तथा उक्त शिक्षकों का डाटा आपके महाविद्यालय के शिक्षकों की सूची से हटा दिया जायेगा।

अतएव उपरोक्त के अनुसार दिनॉक 23 दिसम्बर, 2017 तक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : महाविद्यालयों के शिक्षकों की अपलोड की गई सूची सत्यापन हेतु।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य, समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
2. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉग–इन तथा विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही संलग्न सूची से प्रत्येक महाविद्यालय को पृथक–पृथक सम्बद्धता विभाग की **वेबसाइट** www.rmlaufzd.in का लॉग–इन पासवर्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी, सम्बद्धता विभाग।
4. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।

(संजय कुमार)
कुलसचिव